भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2203

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल रोगों की जांच

†2203. श्रीमती जून मालिया:

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत जांच किए गए व्यक्तियों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उन राज्यों में उक्त रोग निदान किए गए और वर्तमान में सक्रिय चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा विवाह-पूर्व और आनुवांशिक परामर्श को सुगम बनाने तथा आनुवांशिक अनुकूलता का निर्धारण करने के लिए गुजरात के वलसाड जिले के धरमपुर और कपराडा तालुकों में जांच किए गए व्यक्तियों को वितरित किए गए जेनेटिक स्थिति संबंधी कार्डों की संख्या कितनी है; और

(घ) दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में हाइड्रोक्सीयूरिया गोलियों की आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था का ब्यौरा क्या है तथा उक्त मिशन के अंतर्गत वर्तमान में निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त कर रहे रोगियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीएईएम) के अंतर्गत, प्रभावित 17 जनजातीय राज्यों में जिला अस्पताल (डीएच) से आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर तक सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में 0–40 वर्ष की लक्षित आयु वर्ग में सिकल सेल रोग (एससीडी) के निदान के लिए जांच की जाती है।

राज्यों द्वारा एससीडी पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 26.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, देश के जनजातिबहुल क्षेत्रों में 7.26 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं और कुल 2,48,375 व्यक्तियों की रोगी तथा 20,37,733 व्यक्तियों की एससीडी के वाहक के रूप में पहचान की गई। दिनांक 26.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार गुजरात और पश्चिम बंगाल में "वाहक" और "रोगी" के रूप में पहचाने गए और जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	आयोजित कुल जांचें	वाहक की संख्या	रोगग्रस्तों की संख्या
1	गुजरात	83,66,066	5,48,820	30,521
2	पश्चिम बंगाल	25,53,640	3,810	897

दिनांक 26.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, विवाह-पूर्व और आनुवांशिक परामर्श को सुगम बनाने तथा आनुवांशिक अनुकूलता निर्धारित करने के लिए, धरमपुर और कपराडा तालुकों सहित वलसाड जिले के जांच किए गए व्यक्तियों को 10.49 लाख से अधिक आनुवांशिक स्थिति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

औषधि तक पहुंच की समस्या को दूर करने के लिए, हाइड्रॉक्सीयूरिया को उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी)/शहरी पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में एनएचएम आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया है। यह मंत्रालय, एनएचएम के अंतर्गत प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच और हाइड्रॉक्सीयूरिया और फोलिक एसिड सहित औषधियों की खरीद के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और औषधियों की खरीद की निगरानी के लिए, भारत सरकार द्वारा औषधि एवं टीका प्रबंधन प्रणाली (डीवीडीएमएस) शुरू की गई है।

एससीडी के साथ जीवनयापन कर रहे रोगियों को एएएम-एसएचसी और एएएम-पीएचसी के माध्यम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित सेवाएँ/सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं:

- रोगग्रस्त व्यक्तियों का नियमित अंतराल पर अनुवर्ती जांच।
- जीवनशैली प्रबंधन, विवाह-पूर्व और प्रसव-पूर्व निर्णयों के संबंध में परामर्श।
- फोलिक एसिड की गोलियाँ वितरित करके पोषण पूरक सहायता।
- योग और स्वास्थ्य सत्र का आयोजन करना।
- संकट के लक्षणों का प्रबंधन और उच्च केंद्रों को रेफर करना।
